रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 205] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 10, 2007/आश्विन 18, 1929

No. 205] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 10, 2007/ASVINA 18, 1929

भारत की दंत परिषद् के अधिनियम

दंत आपरेटिंग कक्ष सहायक के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता का मानक स्तर भारत सरकार द्वारा अनुमोदित

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2007

पत्र सं. न:वी-12025/19/2006-डीई.—दंत ऑपरेटिंग कक्ष सहायक न तो दांतों का डॉक्टर है और न ही मैडिकल प्रेक्टिशनर है। वह उपचार के समय दंत चिकित्सा सर्जन के पास खड़े होकर औजार स्टरलाइ करने व दांत के मैटीरियल और दवाएं देने में दंत चिकित्सा सर्जन की सहायता करता है।

दंत ऑपरेटिंग कक्ष सहायक की योग्यता को नियमित करने तथा मानक प्रदान करने के लिए निर्धारित किया जाता है कि :–

1. दंत ऑपरेटिंग कक्ष सहायक का डिप्लोमा कोर्स शुरू करने के इच्छुक संस्थान को पहले भारत की दंत परिषद् से अनुमोदन लेना आवश्यक है। हालांकि इस कोर्स को चलाने वाले सशस्त्र सेवा चिकित्सा सेवा के निम्नलिखित संस्थान पूर्वव्यापी प्रभाव से रक्षा सेवा योग्यता अधिनियम 1958 के अनुसार इस कोर्स के लिए आरंभ हुए वर्ष से मान्यताप्राप्त माने जाएंगे ।

(क) कमान सैनिक दंत चिकित्सा केन्द्र (मध्य कमान), लखनऊ

(ख) कमान सैनिक दंत चिकित्सा केन्द्र (प. कमान), चंडीमन्दिर

(ग) कमान सैनिक दंत चिकित्सा केन्द्र (दक्षिण कमान), पुणे

(घ) कमान सैनिक दंत चिकित्सा केन्द्र (पूर्व कमान), कोलकाता

(ङ) कमान सैनिक दंत चिकित्सा केन्द्र (उत्तर कमान), उधमपुर

(च) सेना दंत चिकित्सा केन्द्र (आर. एण्ड आर.), दिल्ली कैंट

(छ) दंत चिकित्सा विज्ञान नौ सेना संस्थान, मुम्बई

(ज) दंत चिकित्सा विज्ञान वायु सेना संस्थान, बंगलौर

(झ) सशस्त्र सेना मैडिकल कॉलेज, पुणे

2. अध्ययन कोर्स की अवधि दो शैक्षिक वर्ष होनी चाहिए तथा किसी यूनिवर्सिटी/सशस्त्र सेना दंत चिकित्सा सेना की तकनीकी निकाय द्वारा प्रदत्त दंत ऑपरेटिंग कक्ष सहायक के डिप्लोमा की योग्यता प्रदान करने वाला हो ।

3. संस्थानों द्वारा दंत ऑपरेटिंग कक्ष सहायक के प्रशिक्षण के लिए एक अलग कोर्स चलाने का प्रबंध किया जाएगा ।

4. पूरे भारतवर्ष में दंत चिकित्सा शिक्षा में इस कोर्स की एकरूपता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि सभी संस्थानों में कोर्स का एक मानक रखा जाए । इसे प्राप्त करने के लिए :—

(i) अभ्यर्थी की आयु प्रवेश के समय कम से कम 17 वर्ष या 3 माह के अन्दर 17 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए और वह शारीरिक रूप से स्वस्थ हो ।

(ii) अभ्यर्थी ने मान्यताप्राप्त बोर्ड/यूनिवर्सिटी से जीव विज्ञान विषय के साथ कम से कम 10 + 2 या इसके समकक्ष योग्यता पास की हो ।

5. प्रमाण पत्र परीक्षा के लिए कोर्स का अध्ययन तथा नियम और हर विषय का पाठ्यक्रम लिखित रूप में संलग्न किया जाए ।

6. **संस्थानों द्वारा दंत ऑपरेटिंग कक्ष सहायक का प्रशिक्षण देने के लिए न्यूनतम शर्तें :**

(1.) नीचे लिखे विषयों पर दिए जाने वाले न्यूनतम घंटे निम्न प्रकार से होंगे :—

प्रारंभिक

क्रम सं.	विषय	अवधि				
		एल	एलडी	पीडी	पी	कुल
1.	शरीर रचना विज्ञान (सामान्य)	50	100			150
2.	शरीर क्रिया विज्ञान व ऊतक विज्ञान (सामान्य)	20	40			60
3.	विकृति विज्ञान व जीवाणु विज्ञान	30	70			100
4.	बेसिक नर्सिंग प्रशिक्षण	50	50	70	100	270
5.	बेसिक लाइफ सपोर्ट, सी.पी.आर	02	02	02	06	12
6.	एस्फाइक्सिया	02	02		02	06
7.	शॉक	02	02	02	02	08
8.	स्टरलाइजेशन, डिसइनफेक्शन और बीमारी को फैलने से रोकने के उपाय	16	16	16	32	80
9.	जैव अपशिष्ट प्रबंधन	03	03	04	12	22
10.	बेसिक कम्प्यूटर ट्रेनिंग, रोगियों का रिकार्ड तथा ओ.पी.डी. मैनेजमेंट सिस्टम	36	12	06	20	66
11.	भोजन तथा पोषण	10	–	06	10	26
12.	कार्यालय सहायक अभ्यास	20	20	10	30	80
			कुल योग			880

अंतिम

क्रम सं.	विषय	अवधि				
		एल	एलडी	पीडी	पी	कुल
1.	मुख रचना विज्ञान व शरीर क्रिया विज्ञान	14	04	–	03	21
2.	दांतों और मसूड़ों की बीमारी	04	02	–	–	06
3.	औषधि विज्ञान	05	–	09	20	34
4.	दंत सर्जरी रूटीन	26	26	12	301	365
5.	दंत प्रयोगशाला रूटीन	03	09	04	40	56
6.	छोटे और बड़े ओ टी में सर्जिकल सहायक बी टी.एल.एस. तथा उपकरण का रखरखाव	05	11	21	148	185
7.	दांत के औजार और सामान	06	01	–	24	31
8.	दंत संबंधी दस्तावेज तथा कार्यालय प्रक्रिया	10	06	–	105	121
9.	दंत रेडियोग्राफी	05	02	04	20	31
10.	दांत विधि विज्ञान और नीति विज्ञान	03	–	–	–	03
11.	विविध			103		103
			कुल योग			956

एल : लेक्चर

एल डी : लेक्चर डेमोस्ट्रेशन

पी डी : प्रेक्टीकल डेमोस्ट्रेशन

पी : प्रेक्टीकल

(2.) इस कोर्स के लिए पाठ्यक्रम की विभिन्न विषयों में क्लासें अलग से पढ़ाई जानी चाहिए ।

(3.) क्लीनिक में दिए गए कार्य समय पर हर 10 छात्रों के ऊपर कम से कम एक प्रशिक्षक होना चाहिए ।

(4.) तकनीकी प्रयोगशाला में दिए गए कार्य समय पर प्रत्येक 20 छात्रों के लिए कम से कम एक प्रशिक्षक होना चाहिए ।

(5.) दंत विषयों को पढ़ाने के लिए केवल वही प्रशिक्षक तैनात किया जाएगा जिसके पास मान्यताप्राप्त दंत चिकित्सा योग्यता होगी। क्लीनिकल और प्रेक्टीकल डेमोस्ट्रेशन कराने वाले व्यक्ति के लिए सशस्त्र सेना का मान्यताप्राप्त 'दंत ऑपरेटिंग कक्ष सहायक' डिप्लोमा होना चाहिए ।

(6) जो संस्थान इस कोर्स में प्रशिक्षण दें उनके संस्थान में निम्नलिखित न्यूनतम आवश्यकताएं होनी चाहिएं ।

(i) प्रदर्शन करने के लिए (Demonstration) रोगग्रस्त ऊतकों के विज्ञान (Histopathology) की एक प्रयोगशाला जिसमें पर्याप्त संख्या में माइक्रोस्कोप हो।

(ii) पर्याप्त संख्या में क्लास रूप जिसमें प्रोजेक्शन के लिए एक ओ एच पी तथा एल सी डी के साथ कम्प्यूटर लगा हो।

(iii) पर्याप्त संख्या में तकनीकी प्रयोगशालाएं जिससे हर छात्र को कोर्स के लिए आवश्यक उपयुक्त सुविधाएं प्राप्त हो जाएं।

(iv) छात्रों को विषय से संबंधित एक अच्छा पुस्तकालय भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

7. स्टाक :

सहायक प्रोफेसर	पूरे समय
प्रदर्शक (डेमोस्ट्रेटर)	पूरे समय
अन्य स्टाफ	जैसी आवश्यकता हो।

नोट : दंत ऑपरेटिंग कक्ष सहायक कोर्स को प्रशिक्षित करने के लिए एक उपयुक्त विभाग हो। यदि अलग विभाग प्रदान करने में कोई परेशानी आती हो तो इसे अन्य विभाग के साथ मिला दिया जाए। सशस्त्र सेना संस्थानों के मामले में, सहायक प्रोफेसर के स्थान पर एक दंत चिकित्सा विशेषज्ञ अधिकारी जिसकी सेवा 10 वर्ष से अधिक हो गई हो तथा प्रदर्शक के बदले में एक दंत चिकित्सा अधिकारी जिसकी सेंवा 5 वर्ष से अधिक हो चुकी हो, तैनात किया जा सकता है ।

2. दंत ऑपरेटिंग कक्ष सहायक (डिप्लोमा रेगुलेशन की स्वीकृति) :

भारतीय दंत परिषद्, दंत अधिनियम, 1948 (1948 का 16) की धारा 20 की उप-धारा का खण्ड (जी) और उप-धारा 2 का खंड (एच) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित रेगुलेशन को केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के लिए भेजती है :

ये रेग्युलेशन दंत ऑपरेटिंग कक्ष सहायक (डिप्लोमा की स्वीकृति) रेग्युलेशन कहे जा सकते हैं

1.दंत ऑपरेटिंग कक्ष सहायक की डिप्लोमा परीक्षा लेने के लिए, इस क्षेत्र में प्रशिक्षण देने वाली यूनिवर्सिटी/संस्थान द्वारा (केवल सशस्त्र सेना संस्थानों के लिए जिन्हें डी जी डी एस का अनुमोदन प्राप्त हो) परीक्षकों का बोर्ड नियुक्त किया जाएगा और इसमें कम से कम एक परीक्षक संस्थान के बाहर का हो।

नोट : दंत ऑपरेटिंग कक्ष सहायक परीक्षओं के लिए एक परीक्षक के रूप में नियुक्ति की योग्यता/पात्रता :

(क) उसका नाम डेंटिस्ट अधिनियम 1948 के अधीन बनाए गए डेन्टिस्ट रजिस्टर के भाग 'ए' में रजिस्टर्ड हो; तथा

(ख) चिकित्सा विषय पढ़ाने वाले व्यक्ति, चिकित्सा विषयों के लिए परीक्षक के रूप में नियुक्त किए जा सकते हैं चाहे वे डेन्टिस्ट अधिनियम, 1948 के तहत रजिस्टर्ड न भी हों;

(ग) मान्यताप्राप्त दंत/चिकित्सा संस्थान में संबंधित कोर्स या संबंधित विषय में सक्रिय अध्यापक के रूप में होना चाहिए ।

2. परीक्षा एक वर्ष में दो बार निश्चित की गई तिथियों पर ही करवाई जाएं । सशस्त्र सेना संस्थानों के लिए परीक्षा अनुसूचित कोर्स के अंतिम सप्ताह में करवाई जाएं ।

(i) प्रारंभिक और

(ii) अंतिम प्रमाणपत्र परीक्षा

प्रारंभिक परीक्षा

1. यह परीक्षा प्रत्येक उस छात्र के लिए है जो :

(क) भारतीय दंत परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से आरंभ होने वाले शैक्षिक वर्ष की परीक्षा के लिए नामांकित किया गया हो।

(ख) मान्यताप्राप्त बोर्ड/यूनिवर्सिटी से जीव विज्ञान विषय के 10 + 2 या इसे समकक्ष परीक्षा पास की हो ।

(ग) संस्थान प्रमुख द्वारा बोर्ड की परीक्षा में छात्र/छात्रा का नाम जिसमें उसे नामांकित किया गया है प्रस्तुत किया गया हो ।

(घ) निम्नलिखित प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने पर संस्थान प्रमुख द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे ।

(i) अच्छा चरित्र

(ii) लेक्चर के पूरे कोर्स में तथा परीक्षा के हर

विषय में आयोजित प्रेक्टीकल/डेमॉ... क्लीनिकल में उपस्थिति 75 प्रतिशत न हों।

संस्थान प्रमुख को किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में न बैठने का पूरा अधिकार है। यदि वह इस तथ्य से संतुष्ट है कि अभ्यर्थी परीक्षा में बैठने के योग्य नहीं है।

2. प्रत्येक अभ्यर्थी को अपना/अपनी आवेदन पत्र निर्धारित फीस के साथ संस्थान द्वारा निश्चित की गई दिनांक तक परीक्षा निकाय को भेजना अनिवार्य है। जो छात्र/छात्राएं परीक्षा में उपस्थित रहने में असमर्थ हों, वे फीस को वापस लेने का दावा नहीं कर सकेंगे।

3. हर अभ्यर्थी को निम्नलिखित तीन विषयों में तीन परीक्षाएं देनी होंगी।

पेपर-1	शरीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, ऊतक विज्ञान, विकृति व जीवाणु विज्ञान।
पेपर-2	बेसिक नर्सिंग
पेपर-3	कम्प्यूटर, ऑफिस मैनेजमेंट, जैव अपशिष्ट निपटान व स्टरलाइजेशन।

4. हर पेपर के अंक निम्नानुसार होंगे :

लिखित : 100

मौखिक : 50

प्रेक्टीकल : 50

कुल : 200

5. हर लिखित परीक्षा तीन घंटे की होगी।

6. हर अभ्यर्थी को परीक्षा के सभी विषयों में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा के किसी एक पेपर या पेपरों में फेल होने वाले अभ्यर्थी की बाद की परीक्षा में उपस्थित होने से पहले पूर्व की परीक्षा को पास करना अनिवार्य है।

जो अभ्यर्थी किसी एक पेपर या अधिक पेपरों में पास हो गया हो उसे दो वर्ष की अवधि में वह पेपर दुबारा देने और आगे के पेपर जिसमें वह फेल हुआ हो परीक्षा देने की अनुमति होगी। दो वर्ष के बाद अभ्यर्थी को परीक्षा के सभी पेपर दुबारा देने होंगे।

7. परीक्षा पास करने के लिए परीक्षा के दोनों पेपर के हर भाग में (1) लिखित और मौखिक और (2) प्रेक्टीकल में न्यूनतम अंक 50 प्रतिशत होने आवश्यक हैं। अभ्यर्थी को मौखिक और प्रेक्टीकल दोनों पेपरों में अलग-अलग पास होना होगा।

जिस अभ्यर्थी ने किसी पेपर में न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं उसे उत्तीर्ण होने के साथ उस विषय के पेपर में 'विशिष्टता प्राप्त' घोषित किया जाएगा। जो अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा के सभी पेपरों में एक बार में पास नहीं होते उन्हें पर्याप्त अंक प्राप्त होने पर भी विशिष्टता प्राप्त के साथ पास घोषित नहीं किया जाएगा।

8. परीक्षा बोर्ड परीक्षा के बाद जहां तक संभव हो सके अति शीघ्र पास अभ्यर्थियों की एक सूची प्रकाशित करेगा। हर सफल अभ्यर्थी को प्रारंभिक प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

नोट : सशस्त्र सेना संस्थानों में नर्सिंग असिस्टेंट क्लास-3 कोर्स के लिए आयोजित परीक्षा इस परीक्षा के समकक्ष मानी जाएंगी।

अंतिम डिप्लोमा परीक्षा

9. यह परीक्षा किसी भी ऐसे छात्र के लिए है जिसने

(क) इस उद्देश्य के लिए भारत की दंत परिषद् द्वारा अनुमोदित किसी एक संस्था में आरंभ की गई परीक्षा के एक शैक्षिक वर्ष के दौरान नामांकन किया गया हो;

(ख) दंत ऑपरेटिंग कक्ष सहायक के प्रमाण पत्र के लिए पहले प्रारंभिक परीक्षा पास की हो;

(ग) उसका नाम संस्थान के अध्यक्ष द्वारा बोर्ड की परीक्षा में प्रस्तुत किया गया हो;

(घ) निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर संस्थान का अध्यक्ष हस्ताक्षर करेगा।

(i) अच्छा चरित्र

(ii) परीक्षा के प्रत्येक पेपर में आयोजित लेक्चर, प्रेक्टीकल/डेमोस्ट्रेशन और क्लीनिकल में उपस्थित 75 प्रतिशत से कम न हों।

(iii) सभी पेपरों में 'प्रारंभिक परीक्षा' पास की हो। संस्थान प्रमुख को किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में उपस्थित न होने देने का पूरा अधिकार है यदि वह इस तथ्य से संतुष्ट है कि अभ्यर्थी परीक्षा में बैठने के योग्य नहीं है।

10. प्रत्येक अभ्यर्थी को अपना/अपनी आवेदन पत्र निर्धारित फीस के साथ संस्थान द्वारा निश्चित की गई दिनांक तक परीक्षा निकाय को भेजना अनिवार्य है। जो छात्र/छात्राएं परीक्षा में उपस्थित रहने में असमर्थ हों, वे फीस को वापस लेने का दावा नहीं कर सकेंगे।

11. हर अभ्यर्थी को निम्नलिखित विषयों की तीन परीक्षाएं देनी होंगी।

पेपर-1 : मुख रचना विज्ञान व शरीर क्रिया विज्ञान, दांतों और मसूढ़ों की बीमारियां व दांत की सामग्री

पेपर-2 : तकनीकी ऑपरेटिंग कक्ष

चेयर साइड असिस्टेंस, डेंटल लैब रूटिन

पेपर-3 : बी टी एल एवं विचार के साथ छोटी और बड़ी सर्जिकल असिस्टेंस

दंत रेडियो इमेजिंग

दंत नीति शास्त्र व विधि शास्त्र

दंत चिकित्सा की जानकारी

हर पेपर में अंक निम्नानुसार होंगे :

लिखित :	100
मौखिक :	50
प्रेक्टीकल :	50
कुल	200

प्रत्येक पेपर तीन घंटे का होगा।

12. अभ्यर्थी को परीक्षा के सभी पेपरों की परीक्षा देनी आवश्यक

है । इस परीक्षा के किसी एक पेपर या पेपरों में फेल होने पर बाद की परीक्षा में पुनःउपस्थित होने के लिए पहले संस्थान के प्रमुख द्वारा अभ्यर्थी के प्रशिक्षण-कोर्स करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाए ।

एक अभ्यर्थी जो एक या एक से अधिक पेपर में पास हो गया हो उसे उस पेपर में दुबारा परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है तथा दो वर्ष के अंदर उसे बाद के विषय में जिसमें वह फेल हुआ है उसे पास करने की अनुमति दी जाएगी। दो वर्ष के बाद वह परीक्षा के सभी पेपर देगा ।

13. परीक्षा के (i) लिखित और मौखिक और (ii) प्रेक्टीकल दोनों पेपर में पास होने के लिए न्यूनतम 50% अंक की आवश्यकता है। अभ्यर्थी को मौखिक और प्रेक्टीकल दोनों पेपर अलग से पास करने होंगे । जो छात्र किसी भी पेपर में न्यूनतम 75% अंक प्राप्त करता है उसे उस विषय में पास के साथ 'विशेष योग्यता प्राप्त' घोषित किया जाएगा । जो छात्र अंतिम परीक्षा के सभी पेपरों में एक बार में पास नहीं होते उन्हें पास होने के साथ-साथ 'विशेष योग्यता प्राप्त' घोषित नहीं किया जाएगा ।

14. परीक्षा बोर्ड जितना शीघ्र हो उत्तीर्ण छात्रों की एक सूची प्रकाशित करेगा। हर सफल छात्र को अंतिम परीक्षा का एक प्रमाण-पत्र दिया जाएगा ।

नोट : सशस्त्र सेना संस्थानों में दंत ऑपरेटिंग कक्ष सहायक क्लास II कोर्स के लिए आयोजित परीक्षा इस परीक्षा के समकक्ष मानी जाएगी।

III. दंत आपरेटिंग कक्ष सहायक कोर्स के लिए बेसिक कोर्स पाठ्यक्रम

1. निम्नलिखित विषय पढ़ाए जाएंगे :

(क) फ्लोरेंसनाइटिंगिल की तरह नर्सिंग केअर

(ख) दंत केन्द्र, ऑपरेटरी और विभिन्न विभागों का दौरा और उनका रखरखाव

(ग) ऑपरेटरी नियमावली तथा रोगियों का अनुशासन

(घ) एम आई रूम तथा वार्डों में भर्ती प्रक्रिया

(ङ) स्ट्रेचर केसों की ठीक प्रकार से व्यवस्था

(च) बेसिक ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट

(छ) शरीर रचना विज्ञान

(i) शरीर के टिश्यूज

(ii) सिर और गर्दन का मस्कुलोस्केलट्ल सिस्टम

(iii) सरकुलेटरी रेसीपरेटरी और नर्वस सिस्टम,

(iv) त्वचा और विशेष इन्द्रियों के अंग (आँख, कान, नाक और जीभ)

(ज) शरीर क्रिया विज्ञान

(i) परिसंचरण तंत्र

(ii) पाचन तंत्र

(iii) श्वसन तंत्र

(iv) एण्डोक्राइन सिस्टम

(v) गुर्दे के कार्य

(झ) प्रारंभिक सूक्ष्म जीव विज्ञान

(ण) प्राथमिक उपचार तथा बैन्डेज करना

(त) बेसिक लाइफ सपोर्ट, सीपीआर

(थ) एस्फाइक्सिया

(द) शॉक

(ध) बीमारी को नियंत्रण करने के लिए स्टरलाइजेशन, डिसइनफेक्शन उपाय करना।

(न) 2 सप्ताह की बेसिक कम्प्यूटर ट्रेनिंग

(i) कम्प्यूटरों से परिचय, कम्प्यूटर हार्डवेयर (सीपीयू), इनपुट डिवाइस, स्टोरेज मीडिया, आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर व अन्य पेरीफिरल

(ii) कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर विंडो (परिचय)

(iii) एप्लेकेशन पैकेज, एमएसडोस व विंडो 2000, एम एल वर्ड, पावर पॉइंट एक्सेल व एक्सेस

(iv) अन्य दूसरे पैकेजों का परिचय

(v) सुरक्षा

(प) अस्पतालों में कम्प्यूटरों के प्रयोग पर परिचय क्लास

IV. दंत ऑपरेटिंग कक्ष सहायक के मुख्य कोर्स का पाठ्यक्रम

मुख की रचना व शरीर क्रिया विज्ञान (प्रारंभिक)।

1. सिर की हड्डियों का ढांचा, मैक्सला और मेण्डीबिल ।
2. ओरल कैविटी-होठ, जीभ, फैरिक्स व दांत ।
3. दांतों व आस पास के टिश्यू की रचना ।
4. दांतों के प्रकार अस्थायी और स्थायी
5. दांतों तथा मुख की कैविटी के नाजुक टिश्यू में रक्त की सप्लाई ।
6. पेशियों का चबाना व चेहरे के भाव।
7. दांत की सर्जरी करते समय लार के अधिक स्राव पर नियंत्रण।
8. रक्त : आर बी सी, डब्ल्यू बी सी, प्लाजा।
9. रक्त कोएग्लेशन : रक्त का बहना तथा थक्का बनना तथा रक्त ग्रुप ।

दांत व मसूढ़ों की बीमारियां (प्रारम्भिक)

1. दंत क्षरण
2. दंत मज्जा की बीमारी, दांतों की गुहा के चारों ओर बना फोड़ा तथा संक्रमण
3. दंतक्षय बीमारी, मसूढ़ा/दंतक्षय की बीमारी
4. दांतों की एट्रिशन, एब्रेजन, हरोजन तथा फ्लयूओरोसिस।

डेंटल प्रेक्टिस में संबंधित बीमारी (संक्रामक)

1. एड्स
2. हेपिटाइटिस

4160GI/07-2

औषधि चिकित्सा (मैटीरिया मेडिका)

1. दांत की सर्जरी में मेटीरियल/ड्रग्स और उनका प्रयोग ।
2. दांत की सर्जरी में अलग-अलग अनुपात में सल्युशन तैयार करना ।
4. एंटीसेप्टिक व माऊथ वाश ।

डेंटल सर्जरी रूटीन

1. डी ओ आर ए की ड्यूटियां
2. रोगियों को दांतों को स्वस्थ रखने के बारे में जानकारी देना तथा उनका स्वागत ।
3. सर्जरी की पूरी तैयारी व रखरखाव करना।
4. डेंटल प्रेक्टिस करते समय संक्रमण पर नियंत्रण।
5. डेंटल सर्जरी में प्रयोग आने वाले औजार, ट्रे, ड्रेसिंग और दूसरे सामानों का स्टरलाइजेशन/एसेपेसिस व एंटीसेप्टिक विधि का प्रयोग।
6. डेंटल चेयर में शॉक व बोहोश होने वाले रोगियों की देखभाल।
7. ऑपरेशन थिएटर का तकनीकी ज्ञान व असिस्टेंट के रूप में कार्य करना।
8. सामान्य और लोकल एनस्थीसिया के लिए रोगियों को तैयार करना (प्रीमेडिकेशन और उसके बाद देखभाल) ।
9. दंत म्यूजियम/लैब जांच के लिए दांत से पैथेलॉजिकल नमूनों की तैयारी ।
10. आपात दंत चिकित्सा और उसका प्रबन्ध ।
11. दांत निकालने, भरने व कृत्रिम दांत लगाने के बाद देखभाल ।
12. मुख का स्वास्थ्य व ब्रश करने की विधि ।
13. मैक्सलोफेशियल इंजरी केस में प्राथमिक उपचार प्रबंध व ट्रांसपोर्टेशन ।
14. निम्नलिखित के लिए औजार लगाना ।

—दांत की सर्जरी

—एल्वियोलोडेन्टल व एपिसेक्टॉमी

—फ्रैक्चर जबड़ा

—दंत मज्जा की बीमारी

—जिन्जीवेक्टॉमी, म्यूकोपैरीऑस्टील फ्लॉक्स

—कृतिम दांत लगाना

रेडियोग्राफी

1. एक्स-रे मशीन, इसके अवयव व रखरखाव ।
2. एक्स-रे फिल्मस, एक्सपोजर की विधि, बढ़ाना और निश्चित करना ।
3. एक्स-रे की किरणों से खतरे और उससे बचाव के उपाय ।
4. डेंटल रेडियोग्राफी-डेंटल फिल्म, उनको माउंटिंग और रिकार्ड रखना ।

डेंटल लैब प्रक्रिया

1. दांत की सामग्री व उनको बनाना : रेस्ट्रोरेटिव सामग्री, इम्प्रेशन मेटीरियल और ऐक्रीलिक रेजिन ।
2. विभिन्न प्रकार के स्थिर और हटाने वाले दांतों का प्रयोग ।
3. मैक्सलोफेशियल व सर्जिकल प्रोस्थीसस में प्रयोग सामान ।

मेक्सीलोफेसियल सर्जरी

1. मैण्डीबिल व मेक्सिला फ्रैक्चर-मुख्य कारक
2. फ्रैक्चर जबड़े में मुख के स्वास्थ्य के बारे में बताना तथा मैक्सलोफेशियल इंजरी के केस में ऑपरेशन के बाद वार्ड में समय-समय पर देखभाल करना ।
3. फ्रैक्चर जबड़े के केसों में पोषण, भोजन खिलाना व एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना ।

दांत के उपकरण व सामान

1. दांत चिकित्सा के संस्थानों में विभिन्न दांत के औजार व सामान की पहचान और ज्ञान ।
2. दंत चिकित्सा के सामान की व्यवस्था, संग्रहण, गणना व इश्यू करना ।
3. दंत सामान की हैण्डलिंग व रखरखाव ।
4. दंत उपकरण का संग्रह व लघु रिपेयर ।
5. विषाक्त दवाएं : संग्रह व लेबिल लगाना, अल्प अवधि का सामान व उनकी देखभाल, टर्न ओवर ।

नोट : सशस्त्र सेना संस्थानों में अभ्यर्थियों को पीवीएमएस की जानकारी भी दी जाएगी (मैडिकल स्टोर्स के मूल्यों का शब्द कोश) ए एफ एम एस डी से दंत सर्जरी/दंत सेक्शन व डेंटिंग प्रक्रिया में स्टोर्स का प्रावधान ।

दंत दस्तावेज और कार्यालय प्रक्रिया

1. प्रतीक्षा कक्ष को तैयार करने और रखरखाव के बारे में ज्ञान ।
2. केसों का रजिस्ट्रेशन और तिथि व समय निश्चित करना ।
3. दंत उपचार के रिकार्ड का रखरखाव व रिकार्डिंग उपचार के लिए संक्षेप संकेत ।
4. दांतों को स्वस्थ रखने के लिए दंत चिकित्सा के आंकड़े और उनका संचार ।

नोट : सशस्त्र सेना संस्थानों में अभ्यर्थियों को दंत उपचार के तिमाही

सारांश की तैयारी करना भी सिखाया जाएगा। दंत केन्द्रों/अनुभागों में दंत रिकार्ड (एएफएमएसएफ 140, 141, प्राथमिक पुस्तकें) पुन: भुगतान/भुगतान केस : खर्च व रजिस्टर का रखरखाव ।

दंत न्यायशास्त्र व नीति शास्त्र

1. दंत चिकित्सा विज्ञान का इतिहास
2. व्यावसायिक नीति शास्त्र
3. दंत अभ्यास में कानूनी नियम ।

भारत की दंत परिषद् के अधिनियम

दंत ऑपरेटिंग कक्ष सहायक के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता का मानक स्तर

दंत ऑपरेटिंग कक्ष सहायक न तो दांतों का डॉक्टर है और न ही मेडिकल प्रेक्टिशनर है। वह दंत सर्जन और विभिन्न दंत विशेषज्ञों को छोटे और बड़े ऑपरेशन के समय ऑपरेशन कक्ष (ओ.टी.) में विभिन्न इनवेसिव और नान-इनवेसिव प्रक्रिया के लिए स्टरलाइजिंग औजार और उपकरण लगाने, डेंटल और विशेष प्रक्रिया में सभी प्रकार की सहायता, ओरोफेशियल और मेक्सीलोफेसियल स्थानों पर बेसिक ट्रोमा मैनेजमेंट करने, बेसिक रेडियो डायग्नोसटिक प्रक्रिया में इमेज लेने तथा रोगियों को दांत स्वस्थ्य रखने के संबंध में जानकारी देता है। वह पेपरों और इलेक्ट्रोनिक फॉरमेट के साथ-साथ फोटोग्राफिक के रूप में रोगियों का क्लीनिकल रिकार्ड, दांतों से संबंधित विभिन्न सामान की हैण्डिलिंग और मैनुप्लेटिंग, सर्जरी में दंत सामान का मैनेजमेंट तथा ऑपरेटरी और ऑपरेशन कक्ष में लगे विभिन्न इलैक्ट्रोमेडिकल यूनिट्स की छोटे स्तर पर मरम्मत तथा उनका नियमित रूप से रखरखाव करता है ।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) पी. एन. अवस्थी, सचिव

[विज्ञापन/III/IV/असा./98/07]

DENTAL COUNCIL OF INDIA REGULATIONS

For the Maintenance of Minimum Educational Standard for Dental Operating Room Assistant

Approved by the G.O.I. *vide* letter No. V. 12025/19/2006-dE dt. 6-7-2007

Dental Operating Room Assistant is a person, not being a Dentist or Medical Practitioner; who assists the Dental Surgeon in sterilizing and at the chair side by supplying instruments, handling various dental materials and medicines as required by the Dental Surgeon.

In order to regularize and standardize the conferment of the qualification for Dental Operating Room Assistant, it is prescribed that :—

1. The Institutions wishing to start diploma courses for Dental Operating Room Assistant should seek prior approval of the Dental Council of India. However following institutions of Armed Forces Medical Services, running this course as per Defence Service Qualification Regulations 1958, will be considered recognised to conduct this course with retrospective effect, from the year of commencement of this course in these institutions.

(a) Command Military Dental Centre (CC), Lucknow

(b) Command Military Dental Centre (WC) Chandimandir

(c) Command Military Dental Centre (SC) Pune.

(d) Command Military Dental Centre (EC) Kolkata

(e) Command Military Dental Centre (NC) Udhampur

(f) Army Dental Centre (R & R) Delhi Cantt.

(g) Naval Institute of Dental Sciences, Mumbai

(h) Air Force Institute of Dental Sciences, Banglore

(j) Armed Forces Medical College, Pune.

2. The course of studies should extend over a period of two academic years and lead to the qualification of Dental Operating Room Assistant diploma awarded by a University/Technical Body of the Armed Forces Dental services.

3. A separate course shall be arranged for the training of Dental Operating Room Assistant by the Institutions.

4. For the purpose of establishment of uniformity in Dental Education in this course throughout India, it is necessary that the course of instructions to be pursued in all the institutions should be standardised. To achieve this :—

(i) a candidate should be at least 17 years of age at the time of admission or within 3 months of it, and should be medically fit.

(ii) a candidate must have passed at least 10+2 with Biology as a subject from a recognised Board/University or an equivalent qualification. PCB

5. The course of study and regulations for the certificate Examination and the Syllabus to be followed in each subject has been drawn up and appended.

6. Minimum Requirements for Institutions Imparting Training for Dental Operating Room Assistant.

1. The minimum hours devoted to the under mentioned subject shall be as follows :—

Primary

S. No.	Subject	Periods				
		L	LD	PD	P	Total
1.	Anatomy (General)	50	100			150
2.	Physiology and Histology (General)	20	40			60
3.	Pathology and Bacteriology	30	70			100
4.	Basic Nursing Training	50 100		50	70	270
5.	Basic life support, CPR	02 06		02	02	12
6.	Asphyxia	02 02		—	02	06
7.	Shock	02 02		02	02	08
8.	Sterilisation, disinfection and method for control of spread of diseases	16 32		16	16	80
9.	Bio-Medical waste management	03 12		03	04	22
10.	Basic computer trg., including patient records and OPD management system	36 20		12	06	66
11.	Food and Nutrition	10 10			06	26
12.	Office Assistance, Practice	20 30		20	10	80
			Grand Total			880

Final

S. No.	Subject	Periods				
		L	LD	PD	P	Total
1.	Oral Anatomy and Physiology	14	4	-	3	21
2.	Diseases of teeth and gums	4	2	-	-	06
3.	Materia Medica	5	-	9	20	34
4.	Dental Surgery Routine	26	26	12	301	365
5	Dental laboratory routine	3	9	4	40	56
6.	Surgical assistance in minor and major OT BTLS and equipment with maintenance	5	11	21	148	185
7.	Dental equipment and stores	6	1	-	24	31
8.	Dental documentation and office procedures	10	6	-	105	121
9.	Dental Radiography	5	2	4	20	31
10.	Dental jurisprudence and Ethics	3	-	-	-	03
11.	Miscellaneous	-	-	-	103	103
				Grand Total		956

L—Lecture

LD—Lecture Demonstration

PD—Practical Demonstration

P—Practical

(2) The classes in different subjects of the curriculum should be taught exclusively for this course.

(3) There should be at least one Instructor for every 10 students working in the clinic at any given time.

(4) There should be at least one Instructor for every 20 students working in the technical Laboratories at any given time.

(5) For the teaching of dental subjects, no persons except those holding recognized dental qualifications shall be employed as Instructors. For Clinical and Practical demonstrations persons holding recognized 'Dental Operating Room Assistant' diploma shall be eligible.

(6) The institution imparting training in this course must be in possession of the following minimum requirements :—

(i) One histopathology laboratory equipped with sufficient number of microscopes for demonstration purposes.

(ii) Sufficient class rooms of which, at least one must be equipped with a OHP for projection, a computer preferably with LCD.

(iii) Sufficient technical laboratories so that each student is provided with suitable facilities required for the course.

(iv) A suitable professional library should be available to the students.

7. Staff :

Assistant Professor	Full time
Demonstrator	Full time
Other Staff	As required

Note: Appropriate Department to train Dental Operating Room Assistant course. In case of any difficulty in providing separate deptt., it may be clubbed with some other department. In case of Armed forces institutions, a specialist officer with more than 10 years of service may be employed in lieu of Assistant Professor and a dental officer with more than 5 years of service in lieu of Demonstrator.

II. THE DENTAL OPERATING ROOM ASSISTANT (GRANT OF DIPLOMA REGULATIONS)

. In exercises of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (g) and (h) of sub-Section (2) of Section 20 of the Dentists Act 1948 (XVI of 1948) the Dental Council of India hereby make, the following REGULATIONS, the same having been approved by the Central Government namely :—

These Regulations may be called the:

DENTAL OPERATING ROOM ASSTT.(GRANT OF DIPLOMA) REGULATIONS

1. An Examination for the grant of Diploma of Dental Operating Room Assistant shall be conducted by a Board of Examiners appointed by the university/institutions* imparting training for qualification of Dental Operating Room Assistant (*Armed Forces institutions only with approval of DGDS) and that at least one of the Examiners must be external from outside that institution.

Note: Qualifications/eligibility for appointment as an Examiner for Dental Operating Room Assistant examinations ;

(a) Should be registered in Part 'A' of the Dentists Register maintained under the Dentists Act, 1948, and

(b) That medical persons teaching medical subjects may be appointed as examiners for medical subjects even though they are not registered under the Dentists Act, 1948,

(c) Should be an active teacher of the concerned course or in the concerned subject/s at a recognized dental/medical Institution.

2. The examination shall be held twice a year, on such dates as may be fixed. For Armed forces institutions, the examination may be held in the last week of the scheduled course.

The Examination shall consist of two parts :

(1) Primary and

(2) Final Certificate Examination.

THE PRIMARY EXAMINATION

1. The Examination shall be open to any student who—

(a). has been enrolled during one academic year preceding the examination in an institution recognized by the Dental Council of India for this purpose.

(b) Has passed 10+2 examination not less than one academic year preceding the examination of a recognized Board/University taking Biology subject or equivalent recognised qualification.

(c) Has his/her name, submitted to the Board of Examiners; by the Head of the institution in which he/she is enrolled.

(d) Produces the following Certificates signed by the Head of the institution :

(i) of good character

(ii) of having attended not less than seventy five per cent of the full course of lectures delivered and practicals/demonstration/clinical conducted in each of the subjects of examination :

Provided that the head of the Institution shall have power to exclude any candidate from the examination if he is satisfied that such a candidate is not a fit person to be admitted thereto.

2. Every candidate shall forward his/her application to the Examining Body by a date fixed by that Body, accompanied by the prescribed fee. A candidate who fails to pass or present himself/herself for examination shall be entitled to claim a refund to the fee.

5. Every candidate shall be examined in the following subjects comprising of three papers as follows :

Paper I :	Anatomy, Physiology, Histology, Pathology and Bacteriology
Paper II :	Basic Nursing
Paper III :	Computer, Office Management, Bio-Medical Waste Disposal and Sterilisation

Marks for each of the papers shall be as under :—

Written	: 100
Oral	: 50
Practical	: 50
Total	: 200

Each written paper shall be of three hours.

6. Every candidate shall be required to take up all subjects of the examination. A candidate failing in any paper or papers of this examination before being permitted to re-appear at the subsequent examination, shall have to pass the examination which he/she had failed to clear.

A candidate, who passes in anyone or more papers under examination shall be exempted from appearing in which he/she has passed and shall be allowed to re-appear in the rest in which he/she has failed in any subsequent examination within a period of two years. After two years the candidate will have to appear in all the papers of this examination.

7. The minimum number of marks required to pass the examination shall be fifty per cent in each paper both in the (i) written and oral and (ii) practical parts of the examination. A candidate will have to clear both the oral and practical separately.

Candidates who obtain minimum of seventy five per cent of the marks in any paper shall be declared to have passed with distinction in a particular subject(s). Candidates who do not pass in all the papers of the PRIMARY EXAMINATION at one and the same time shall not be declared to have passed with 'distinction'.

8. As soon as possible after the examination, the Board of Examiners shall publish a list of the candidates who have passed. Each successful candidate shall be granted a PRIMARY CERTIFICATE.

Note: Examination conducted for Nursing Asstt. Class III course in Armed forces institutions will be considered equivalent to this examination.

THE FINAL DIPLOMA EXAMINATION

9. This examination shall be open to any student who—

(a) has been enrolled during one academic year preceding the examination in an institution approved by the Dental Council of India for the purpose;

(b) has previously passed the Primary Examination for the Certificate of Dental operating room assistant;

(c) has his/her name submitted to the Board of Examiners by Head of the institution in which he/she is enrolled;

(d) Produces the following certificates signed by the Head of the Institution :

(i) of good character;

(ii) of having attended not less than seventy five percent of the full course of lectures delivered and practicals/demonstration and clinical conducted in each of the papers of the examination;

(iii) of having passed the 'PRIMARY EXAMINATION' in all papers :

Provided that the Head of the Institution shall have power to exclude any candidate from the examination if he is satisfied that such candidate is not a fit person to be admitted thereto.

10. Every candidate shall forward his/her application to the Examining Body by a date fixed by that Body accompanied by the prescribed fee. A candidate who fails to pass or present himself/herself for examination shall not be entitled to claim a refund of the fee.

11. Every candidate shall be examined in the

following subjects comprising of three papers as follows :

Paper I : Oral Anatomy and physiology, Diseases of teeth and gums and Dental materials

Paper II : Operating Room Technique Chair side assistance, Dental lab routine

Paper III : Minor and Major surgical assistance with the concept of BTLS

Dental radioimaging

Dental Ethics and Jurisprudence

Orientation in Dentistry.

Marks for each on the papers shall be as under :

Written	100
Oral	50
Practical	50
Total	200

Each written paper shall be of three hours.

12. Every candidate shall be required to take up all papers of the examination. A candidate failing in any paper or papers of this examination before being permitted to reappear at the subsequent examination, shall produce evidence of having pursued such a course of training as the Head of the institution may determine.

A candidate, who passes in anyone or more papers under examination shall be exempted from appearing in which he/she has passed and shall be allowed to re-appear in the rest in which he/she has failed in any subsequent examination within a period of two years. After two years the candidate will have to appear in all the papers of this examination.

13. The minimum number of marks required to pass the examination shall be fifty per cent in each paper both in the (i) written and oral and (ii) practical parts of the examination. A candidate will have to clear both the oral and practical separately. Candidates who obtain minimum of seventy five per cent of the marks in any paper shall be declared to/have passed with distinction in a particular subject. Candidates who do not pass in all the papers of the FINAL EXAMINATION at one and the same time shall not be declared to have passed with 'distinction'.

14. As soon as possible after the examination the Board of Examiners shall publish a list of the candidates who have passed. Each successful candidate shall be granted a certificate of FINAL EXAMINATION.

Note : Examination conducted for Dental Operating Room Assistant Class II course in Armed forces institutions will be considered equivalent to this examination.

III. SYLLABUS BASIC COURSE FOR DENTAL OPERATING ROOM ASSISTANT COURSE

1. Following subjects will be taught:

(a) Florence Nightingale's basis of nursing care.

(b) Tour and upkeep of the dental centre, operatory and various departments.

(c) Operatory discipline and discipline of the patients

(d) Admission procedure to MI Room and wards

(e) Manipulation of stretcher cases.

(f) Basic Trauma Life Support.

(g) Anatomy

- (i) Tissues of the body
- (ii) Musculoskeletal system of the head and neck.
- (iii) Circulatory, Respiratory and Nervous System.
- (iv) Skin and organs of special senses (eye, ears, nose and tongue)

(h) Physiology

- (i) Circulatory System
- (ii) Digestive System
- (iii) Respiratory System
- (iv) Endocrine System
- (v) Renal Function.

(i) Elementary Microbiology

(j) First Aid and Bandaging

(k) Basic life support, CPR

(l) Asphyxia

(m) Shock

(n) Sterilization, disinfections and methods for control of spread of diseases

(o) Basic Computer trg of 2 weeks

(p) Introduction to computers, Computer Hardware (CPU), Input Devices, Storage Media, Output Devices, Printers and Other Peripherals

(q) Computersoftware-Windows (Introduction)

(r) Application Packages: MS DOS and Windows 2000, MS Word, Power point, Excel and Access.

- (i) Introductory class on other packages
- (ii) Security

(s) Introductory class on use of computers in hospitals.

IV. SYLLABUS MAIN COURSE FOR DENTAL OPERATING ROOM ASSISTANT

Oral Anatomy and Physiology (Elementary)

1. Bones of the Skull, Maxilla and Mandible.

2. Oral cavity-Lips, tongue, pharynx and teeth.
3. Structure of teeth and surrounding tissues.
4. Dentition: temporary and permanent.
5. Nerve and blood supply of teeth and other soft tissues of the oral cavity.
6. Muscles of mastication and facial expression.
7. Saliva and control of excessive secretion in Dental Surgery.
8. Blood: RBC, WBC, Plasma.
9. Blood coagulation, Bleeding and clotting time and blood groups.

Diseases of Teeth and Gums (Elementary)

1. Dental caries.
2. Pulp diseases, Alveolar abscess and cellulites.
3. Periodontal diseases, Gingivities/ Periodontitis.
4. Attrition, Abrasion, Erosion and Fluorosis of teeth.

Diseases of concern in dental practice (Communicable)

1. Aids Hepatitis
2. Hepatitis

Materia Medica

1. Materials/Drugs and their uses in dental surgeries—abtundants and astringents.
2. Preparation of solution in different percentages used in dental surgery.
3. Antiseptics and mouth washes.

Dental Surgery routine

1. Duties of DORA.
2. Personal Hygiene and Reception of patients.
3. Surgery upkeep and maintenance.
4. Infection control in dental practice.
5. Sterilisation of instruments, trays, dressings and various other items used in dental surgery. Asepsis and antiseptic methods used.
6. Care of patients in Shock and Syncope in dental chair.
7. Operation theatre technique and present concept in assistance.
8. Preparation of patients for general and local anaesthesia.

   (Premedication and after care).
9. Preparation of Pathological specimen from the mouth for dental museum/lab investigation.
10. Dental emergencies and their management.
11. Home care after extraction, filling and denture insertion.
12. Oral hygiene and brushing technique.
13. First aid management and transportation of maxillofacial injury cases.
14. Layout of instrument trolleys for
    - Surgical ext of teeth.
    - Alveolectomies and Apicoectomies
    - Fracture jaws.
    - Endodonitics.
    - Gingivectomies, Mucoperiosteal flaps.
    - Denture work.

Radiography

1. X-Ray machine, its components and maintenance.
2. X-Ray films, methods of exposure, developing and fixing.
3. Hazards of X-Ray radiation and methods of prevention.
4. Dental radiography - Dental films, their mounting and records keeping.

Dental lab procedures

1. Dental materials and their manipulation : Restorative materials, Impression materials and Acrylic resins.
2. Various types of fixed and removable or the appliances used.
3. Materials used in Maxillofacial and Surgical prostheses.

Maxillofacial Surgery

1. Fracture Mandible and Maxilla — Main characteristics.
2. Maintenance of oral hygiene in fracture jaw cases and periodical attendance of maxillofacial injury cases during post op. period in ward.

3. Nutrition, feeding and transportation of fracture jaw cases.

Dental equipment and stores

1. Recognition and knowledge of various Dental equipment and stores used in Dental establishments.
2. Organisation of Dental stores. Storage, accounting and issue of Dental stores.
3. Handling and Maintenance of dental items.
4. Assembly and minor repair to dental equipment.
5. Poisonous drugs—storage and labeling; Short life items and their care, turnover.

Note: Candidates in Armed Forces institutions will also be given knowledge of PVMS (Priced Vocabulary of Medical Stores). Provision of stores in dental surgeries/ dental section and indenting procedures from AFMSDs.

Dental Documentation and office procedures

1. Knowledge about layout and upkeep of waiting rooms.
2. Registration of cases and Scheduling of appointments.
3. Dental treatment record maintenance and abbreviations for recording treatment.
4. Dental statistics including collection of Dental health information, and its communication.

Note: Candidates in Armed Forces Institutions will also be taught preparation of Quarterly summery of dental treatment. Dental records in dental centres/sections (AFMSF -140,141 and priority books). Repayment cases/ payment cases, charges and maintenance of Register.

Dental Jurisprudence and Ethics

1. History of Dentistry.
2. Professional ethics.
3. Legal implication in dental practice.

Maj. Gen. (Retd.) P. N. AWASTHI, Secy.

[No. ADVT/III/IV/Exty./98/07]

4160 GI/07-4

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 187] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 26, 2010/श्रावण 4, 1932
No. 187] NEW DELHI, MONDAY, JULY 26, 2010/SHRAVANA 4, 1932

भारतीय दंत परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2010

सं. डीई-166-2010.—दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 के खंड 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केन्द्रीय सरकार के पूर्व-अनुमोदन से भारतीय दंत्य परिषद् 'डीसीआई के दंत्य आपरेटिंग रूम असिस्टेंट पाठ्यक्रम विनियम, 2007' नाम से ज्ञात मूल विनियमों में निम्न संशोधन करती है :—

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रवर्तन.—(i) इन विनियमों को डीसीआई के आपरेटिंग रूम असिस्टेंट पाठ्यक्रम के पहले संशोधन विनियम, 2010 कहा जाएगा ।

   (ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. मूल विनियमों में चाहे कुछ भी कहा गया हो, दंत्य आपरेटिंग रूम असिस्टेंट पाठ्यक्रम एक शैक्षणिक वर्ष में अधिक से अधिक 20 सीटों सहित किसी भी मान्यताप्राप्त दंत्य कालेज में अथवा ऐसे दंत्य कालेज में जिसे बीडीएस पाठ्यक्रम के तीसरे वर्ष के बाद के लिए केन्द्रीय सरकार की अनुमति मिली हुई है, शुरू किया जा सकता है ।

3. 'दंत्य आपरेटिंग रूम असिस्टेंट के न्यूनतम शैक्षिक मानक बनाए रखने के लिए' शीर्षक के अधीन पृष्ठ संख्या 1, पैरा 2 में 'विश्वविद्यालय' शब्द के स्थान पर 'संबंधित संस्थान' शब्द रख दिए जाएं ।

4. दंत्य आपरेटिंग रूम असिस्टेंट (डिप्लोमा प्रदान करना) विनियम शीर्षक के अधीन पृष्ठ 4, पैरा 1 में 'विश्वविद्यालय' शब्द के स्थान पर 'संबंधित संस्थान' शब्द रख दिए जाएं ।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) डॉ. पी. एन. अवस्थी, सचिव

[विज्ञापन III/4/98/10/असा.]

पाद टिप्पणी :—डीसीआई के दंत्य आपरेटिंग रूम ऐसिस्टेंट पाठ्यक्रम विनियम, 2007 नामक मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग III, खंड 4 में दिनांक 10 अक्तूबर, 2007 को प्रकाशित हुए थे ।

DENTAL COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th July, 2010

No. DE-166-2010.—In exercise of the powers conferred by Section 20 of the Dentists Act, 1948, the Dental Council of India, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following amendment to the Principal Regulations called "DCI's Dental Operating Room Assistant Course Regulations, 2007".

1. **Short title and commencement.**—(i) These Regulations may be called DCI's Dental Operating Room Assistant Course (1st Amendment) Regulations, 2010.

   (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Notwithstanding anything contained in the Principal Regulations, the Dental Operating Room Assistant Course with a maximum of 20 seats in an academic year can be started in a recognized dental college or in a dental college which has got the permission from the Central Government for 3rd year BDS course onwards.

3. The word 'university' be replaced by the words 'concerned institution' in the 2nd para page No. 1 under the heading 'for the maintenance of minimum educational standard for Dental Operating Room Assistant'.

4. The word 'university' be replaced by the words 'concerned dental institution' at page No. 4 para 1st under the heading Dental Operating Room Assistant (grant of diploma) Regulations.

Maj. Gen. (Retd.) Dr. P. N. AWASTHI, Secy.

[ADVT. III/4/98/10/Exty.]

Foot Note :—The Principal Regulations, namely, DCI's Dental Operating Room Assistant Course Regulations, 2007, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated 10th October, 2007.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.